न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 253 सन 2022
अनवान :–

1. देवकी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर

वादीया

बनाम

1. गुरजीतसिह पुत्र विचित्रसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर
2. चन्द्रावली पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. भागुराम पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर
4. मायादेवी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील हनुमानगढ।
5. रामकिशन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील हनुमानगढ।
6. रामजीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सुथार निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. विमलेश पत्नी राजसिह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. हरबंश सिह पुत्र विचित्र सिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर
9. गुरूचरण पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर।
10. मक्खनसिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर
11. बिराकौर पुत्री साधुसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना तहसील मुक्तसर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ,53 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 39 / 34 के खसरा संख्या 25 / 2 की 3.1150हैक्‍ भूमि में वादीया का 6137 / 31150हिस्सा , प्रतिवादी सख्या 1 का 2029 / 15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 6221 / 31150हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 219 / 15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 219 / 15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 4059 / 31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 439 / 31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 6221 / 31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 20 / 623 हिस्सा मृतक साधुसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह का 2139 / 31150 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते मे दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एव साधुसिह के नाम से दर्ज है साधुसिह का देहान्त हो गया है साधुसिह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज रहने से वादीया एव प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल एवं रकम राज जमा करवाने का तनाजा रहता है इसलिये वादीया अपने कब्जा काश्त की भूमि जिसे मेहनत व पेशा लगा कर उपजाउ बनाया गया है जो खसरा संख्या 25 / 2 की मिन पूर्व उत्तर से दक्षिण की 0.6137हैक्‍ भूमि वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसका खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने की अधिकारी है

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त के अनुसार भूमि का खाता अलग से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर वादीया के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करने के आदेश फरमावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 ता 11 को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया की वादीया के हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगाण उपस्थित नही होने व ईकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 39/34 के खसरा संख्या 25/2 की 3.1150हैक्ट भूमि में वादीया का 6137/31150हिस्सा , प्रतिवादी सख्या 1 का 2029/15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 6221/31150हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 219/15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 219/15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 4059/31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 439/31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 6221/31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 20/623 हिस्सा मृतक साधुसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह का 2139/31150 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे मुश्तरका खाते मे दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एव साधुसिह के नाम से दर्ज है साधुसिह का देहान्त हो गया है साधुसिह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज रहने से वादीया एव प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल एवं रकम राज जमा करवाने का तनाजा रहता है इसलिये वादीया अपने कब्जा काश्त की भूमि जिसे मेहनत व पेशा लगा कर उपजाउ बनाया गया है जो खसरा संख्या 25/2 की मिन पूर्व उत्तर से दक्षिण की 0.6137हैक्ट भूमि वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसका खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने की अधिकारी है जिसे प्रतिवादीगण से स्वीकार किया जा चुका है वादीया का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है व साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 39/34 के खसरा संख्या 25/2 की 3.1150हैक्ट भूमि में वादीया का 6137/31150हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 2029/15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 6221/31150हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 219/15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 219/15575 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 4059/31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 439/31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 6221/31150 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 20/623 हिस्सा मृतक साधुसिह पुत्र जोगेन्द्रसिह का 2139/31150 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एव साधुसिह के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है वादीया का कथन है कि वाद अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहती है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 ता 7 ने वादीया के कथनों को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 ता 11 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई है इनकी मौन स्वीकृति मानी जा सकती है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है व साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

वाद भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एव साधुसिह के नाम से दर्ज है साधुसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है वादीया एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 मुश्तरका खाते की भूमि का अपने हक हिस्सा एव किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने के अधिकारी है।

वादीया एव प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वादीया का वाद काबिल प्राथमिक डिक्री है।

अतः वादीया का वाद प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार काबिल प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 39/34 के खसरा संख्या 25/2 की 3.1150हैक में जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा व किस्म भूमि अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तेयार किया जाकर प्रस्तुत करे मौका कमीश्नर फिस 500/–रू तय की जाती है जो वादीया के द्वारा अदा की जावेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी अनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

प्राथमिक पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. देवकी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर

वादीया

बनाम

1 गुरजीतसिह पुत्र विचित्रसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर
2. चन्द्रावली पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. भागुराम पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर
4. मायादेवी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील हनुमानगढ।
5. रामकिशन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील हनुमानगढ।
6. रामजीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सुथार निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
7. विमलेश पत्नी राजसिह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. हरबंश सिह पुत्र विचित्र सिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर
9. गुरूचरण पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर।
10. मक्खनसिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना जिला मुक्तसर
11. बिराकौर पुत्री साधुसिह जाति जटसिख निवासी रूपाना तहसील मुक्तसर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 253 सन 2022 निर्णय दिनांक– 18/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 39/34 के खसरा संख्या 25/2 की 3.1150हैव में जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा व किस्म भूमि अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तेयार किया जाकर प्रस्तुत करे मौका कमीश्नर फिस 500/–रू तय की जाती है जो वादीया के द्वारा अदा की जावेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner